अभय कुमार सिंह (भा.प्र.से.), जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–25.07.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/मेन्टर पदाधिकारी/पणन पदाधिकारियों/सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के साथ किए गए विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/मेन्टर पदाधिकारियों/पणन पदाधिकारियों/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के साथ किए गए कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए :–

1. **लोक सेवा का अधिकार**

अनुपालन – **श्री अनिल कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता एवं श्री सतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, मोतिहारी**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	प्राप्त आवेदन का ससमय निष्पादन	सभी प्रखंडों में पंजी संधारित है। कोटवा एवं छौड़ादानों अंचल में भी सेवावार नई पंजी संधारित करा दी गई है। **अंचलाधिकारी, कल्याणपुर को प्रतिदिन पंजी में निर्धारित समय सीमा के पश्चात् लंबित आवेदन–पत्र की संख्या लिखकर हस्ताक्षर करने हेतु निदेशित किया गया।**
2	Online आवेदन पत्रों का ससमय निस्तार	केसरिया अंचल कार्यालय का कुल–28 आवेदन–पत्र समय सीमा के पश्चात् लंबित दिखाया जा रहा था, जिसे निर्गत संख्या एवं दिनांक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को भेज दिया गया है, जिसे सर्वर पर निष्पादित किया जा रहा है।
3	सभी प्रखण्ड का BSWAN के माध्यम से Online Connectivity	**IP Phone का दूरभाष निर्देशिका सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेज दें।**
4	जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा विभिन्न RTPS Counter का निरीक्षण एवं छापामारी करना	कुल–47 प्रखंडों में से 36 प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय का निरीक्षण एवं छापेमारी मेन्टर पदाधिकारियों द्वारा की गई है। निबंधन कार्यालय, छौड़ादानों, केसरिया, जिला निबंधन कार्यालय, वाणिज्य कर अंचल कार्यालय, मोतिहारी एवं प्रखंड कार्यालय, तेतरिया से जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है। **खेद संसूचित किया जाता है।** **मेन्टर पदाधिकारी, पीपराकोठी लम्बी अवधि तक अवकाश में हैं। अतः पीपराकोठी के मेन्टर पदाधिकारी को बदला जाय।**
5	कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन।	बंजरिया अंचल में दाखिल–खारिज के आवेदन–पत्र के निष्पादन में केवल आम सूचना निकाली जा रही है। जमाबंदी रैयत के नाम से व्यक्तिगत/खास सूचना नहीं निकाली जा रही हैं। अंचल कार्यालय, पकड़ीदयाल का दिनांक–10.07.14 से 16.07.14 तक दैनिक पंजी अद्यतन नहीं है। निबंधन कार्यालय, चकिया में आर0टी0पी0एस0 का

		सूचनापट्ट एवं काउन्टर की व्यवस्था सही नहीं है। **अंचलाधिकारी, बंजरिया एवं पकड़ीदयाल पूर्व में निदेशित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।** यह सुनिश्चित करें कि **सूचनापट्ट सही ढंग से संधारित हो तथा आर0टी0पी0एस0 काउन्टर सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो। इसे अगस्त के प्रथम सप्ताह तक सुनिश्चित करा लें।**
6	R.T.P.S. Monthly District Ranking report की समीक्षा।	इस जिले का Ranking 08 वें स्थान पर है। **Ranking में अपेक्षित सुधार लाने का पुनः निदेश दिया गया।**
7	अपीलीय प्राधिकार द्वारा किए गए कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन।	दिनांक–16.07.2014 से 24.07.2014 तक दाखिल खारिज से संबंधित सबसे अधिक कुल–140 मामले अंचलाधिकारी, छौड़ादानों के पास लंबित है। **अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रक्सौल इस संबंध में Suo Moto की कार्रवाई प्रारंभ कर सुनवाई करें।**
8	समाहरणालय में आर.टी.पी.एस. काउंटर की व्यवस्था।	**कार्रवाई जारी।**
9	आई0टी0 मैनेजर को मानदेय भुगतान की स्थिति।	माह–जून तक वेतन का भुगतान अद्यतन । **मानदेय भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन की मांग करें।**
10	आई0टी0 सहायक को मानदेय भुगतान की स्थिति।	माह–जून तक वेतन का भुगतान अद्यतन । **मानदेय भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन की मांग करें।**
11	कार्यपालक सहायक को मानदेय भुगतान की स्थिति।	माह–जून तक वेतन का भुगतान अद्यतन । **मानदेय भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन की मांग करें।**
12	प्रखंड/अंचल कार्यालय में जन शिकायत पंजी का संधारण।	**सभी प्रखंडों में संधारित।**
13	दाखिल खारिज	दाखिल–खारिज से संबंधित कुल–140 मामले अंचलाधिकारी, छौड़ादानों के पास लंबित है। **अंचलाधिकारी,छौड़ादानों इसका कारण स्पष्ट करेंगे।**
14	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	ढ़ाका एवं पकड़ीदयाल अनुमंडल से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त है, तथा सदर मोतिहारी, चकिया, अरेराज, रक्सौल अनुमंडलों से अप्राप्त है। **संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत उपयोगित प्रमाण–पत्र अगली बैठक के पूर्व जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भेजना सुनिश्चित करें।**

15	निर्धारित समय सीमा के पश्चात् लंबित आवेदनों का निष्पादन	निर्धारित समय सीमा के पश्चात् दाखिल खारिज के कुल–140 मामले अंचलाधिकारी, छौड़ादानों, घोड़ासहन के पास 08 तथा एल0पी0सी0 से संबंधित अंचलाधिकारी, चिरैया के पास 06 तथा घोड़ासहन के पास 02 मामले लंबित हैं। पेंशन से संबंधित 04 मामले प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिरैया के पास लंबित हैं। **1. संबंधित अपीलीय प्राधिकार को खेद संसूचित करें।** **2. अचल अधिकारी, छौड़ादानों, घोड़ासहन, चिरैया तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिरैया बिलम्ब का कारण स्पष्ट करें।**
16	तत्काल सेवा	तत्काल सेवा के अन्तर्गत सबसे कम आवेदन–पत्र पताही, फेन्हारा, संग्रामपुर एवं मधुबन में प्राप्त हुए हैं। **प्रचार–प्रसार कर इसमें अपेक्षित सुधार लाएँ।**

- **लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित तिथिवार प्राप्त, निष्पादन एवं लंबित आवेदन–पत्रों का आँकड़ा संधारित करते हुए प्रतिदिन संध्या में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।**

2. <u>जिला जन शिकायत कोषांग</u>

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायत	1. जिला पंचायत कार्यालय एवं जिला राजस्व शाखा के स्तर पर लंबित आवेदन–पत्रों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के लिए दोनों कार्यालयों के प्रधान लिपिकों को चेतावनी दी गई कि **अगले सप्ताह तक यदि इसमें अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो उनका वेतन भुगतान बंद कर दिया जायेगा।** **2. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को अगले सप्ताह तक लंबित आवेदन–पत्रों की संख्या शून्य करने का निदेश दिया गया।** 3. अंचलाधिकारी, सुगौली द्वारा आवेदन–पत्रों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है और बार बार आवेदन–पत्र की अनुपलब्धता की बात बताई जा रही है, जबकि पूर्व बैठक में ही उन्हें निदेशित किया गया था कि **यदि आवेदन–पत्र उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसकी प्रति जिला जन शिकायत कोषांग से प्राप्त कर लें।** माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त शिकायत पत्रों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने तथा अधोहस्ताक्षरी के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने के लिए

		अंचलाधिकारी, सुगौली का एक दिन के वेतन भुगतान की कटौती करें। 4. अंचलाधिकारी, रामगढ़वा एवं रक्सौल की प्रगति इस सप्ताह शून्य रहने तथा आवेदन–पत्रों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के कारण उनका एक दिन के वेतन की कटौती का निदेश दिया जाता है।
2	मुख्यमंत्री सेवा यात्रा (वर्ष–2012) से प्राप्त जन शिकायत	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, छौड़ादानों की उपलब्धि इस सप्ताह शून्य है। उन्हें अगली साप्ताहिक बैठक तक लंबित आवेदन–पत्रों को निष्पादित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। 2. प्रभारी अंचलाधिकारी, अरेराज, अंचलाधिकारी, संग्रामपुर, बंजरिया, घोड़ासहन एवं पीपरकोठी के द्वारा लम्बी अवधि से लंबित आवेदन–पत्रों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के कारण उनका एक दिन के वेतन की कटौती करने का निदेश दिया गया। 3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पास लंबित आवेदन–पत्रों के निष्पादन की समीक्षा परियोजनावार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 कर अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदित करेंगे।
3	आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जन शिकायत	प्राथमिकता के आधार पर अगले सप्ताह के पूर्व लंबित आवेदन–पत्रों का निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
4	जिला जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायत	विभिन्न स्तरों पर काफी संख्या में जिला जनता दरबार के आवेदन–पत्र लंबित हैं। अगली बैठक के पूर्व प्राथमिकता के आधार पर लंबित आवेदन–पत्रों का निष्पादन करें।

जन शिकायतों के निष्पादन में जिन पदाधिकारियों की उपलब्धि इस सप्ताह शून्य है, उन्हें खेद संसूचित करें।

3. जिला राजस्व

अनुपालन – **श्री अमरेन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	भू–अभिलेख कम्प्यूटराइजेशन से संबंधित प्रतिवेदन।	अपर समाहर्त्ता इसकी समीक्षा करें।
2	चालू खतियान का निर्माण	घोड़ासहन अंचल की प्रगति शून्य है। अतः अंचलाधिकारी, घोड़ासहन का एक दिन के वेतन की कटौती का निदेश दिया गया।

3	छूटे हुए महादलित परिवारों का पुनर्सर्वेक्षण। (सर्किलवार/कर्मचारीवार)	14 अंचलों से पुनर्सर्वेक्षण सूची प्राप्त है। 1. सभी अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनर्सर्वेक्षण में कोई महादलित परिवार नहीं छूटे, अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जायेगा। 2. सभी अंचलाधिकारी पुनर्सर्वेक्षण सूची में यह प्रमाण–पत्र देंगे कि कोई महादलित परिवार नहीं छूटा है। 3. अंचलाधिकारी, संग्रामपुर एवं तेतरिया के आंकड़ो का सत्यापन संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को करने का निदेश दिया गया।
4	लगान वसूली की स्थिति। (सर्किलवार/कर्मचारीवार)	लगान वसूली की स्थिति काफी असंतोषप्रद है। सबसे खराब स्थिति तेतरिया अंचल की है। 1. लगान वसूली में अभिरूचि नहीं लेने के लिए अंचलाधिकारी, तेतरिया से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करें। 2. 25 प्रतिशत से कम वसूली वाले अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
5	दाखिल–खारिज की स्थिति। (सर्किलवार/कर्मचारीवार)	अपर समाहर्त्ता इसकी समीक्षा करेंगे।
6	सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी मामलों की स्थिति। (सर्किलवार/कर्मचारीवार)	सभी अंचलाधिकारियों को अतिक्रमण से संबंधित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने का निदेश दिया गया।
7	बेदखली के मामले (सर्किलवार/ कर्मचारीवार)	अपर समाहर्त्ता इसकी समीक्षा करेंगे।
8	बी.एल.डी.आर. अंतर्गत पारित आदेश को बेवसाईट पर अपलोड की स्थिति।	इस संबंध में अगली बैठक के पूर्व निम्न विन्दुओं पर अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को दिया गया था :– 1. दिनांक–01.04.2014 के बाद प्राप्त मामलों की संख्या । 2. वैसे मामले, जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं द्वारा आदेश पारित किया गया। 3. कितने मामलों में आदेश का निष्पादन हुआ। 4. शेष लंबित मामले । सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता इसका अनुपालन अगली बैठक के पूर्व करेंगे।
9	बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता प्राथमिकता के आधार पर प्रतिदिन भू–विवाद से संबंधित सभी वादों की सुनवाई कर त्वरित गति से निष्पादन करें।
10	डी0सी0 विपत्र	कुल– 40,93,718.00 रूपये का डी0सी0 विपत्र त्रुटि का निराकरण करने के पश्चात् महालेखाकार को भेजा जा रहा है।

11	अमीन/राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा।	**अपर समाहर्त्ता इसकी समीक्षा करेंगे।**
12	जिला जनता दरबार में सुयोग्य श्रेणी के प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई।	जिला राजस्व कार्यालय से 24 मामले विभिन्न पदाधिकारियों को निष्पादन हेतु भेजे गये हैं। **संशोधित सूची सभी अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भेजें।**
13	विभिन्न सरकारी कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराना	विभिन्न सरकारी कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने संबंधी सबसे खराब स्थिति रक्सौल अंचल की है। **अंचलाधिकारी, रक्सौल से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए जमीन का सत्यापन संबंधित अंचलाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी स्वयं करेंगे।**
14	जिला स्तरीय सैरातों की बन्दोवस्ती	**अपर समाहर्त्ता इसकी समीक्षा करेंगे।**

- प्रत्येक प्रखंड में ***आदर्श पंचायत*** के रूप में एक पंचायत का चयन करने का लक्ष्य है। अतः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि **वे अगली बैठक के पूर्व पंचायतों को चिन्हित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसमें वैसे पंचायतों को प्राथमिकता दी जाय,** जो **निर्मल पंचायत के रूप में चयनित हैं।**

4. जिला विधि

अनुपालन :– **श्री उपेन्द्र कुमार पाल, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	एम॰ जे॰ सी॰ में कारण–पृच्छा दायर करना।	एम0जे0सी0 वादों की समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिए गए :– **1. अतिक्रमण के मामले में संबंधित अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दोनों सीधे जवाबदेह होंगे।** **2. आदापुर अंचलाधिकारी अविलम्ब अतिक्रमण हटाकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे।** **3. अगली बैठक के पूर्व एम0जे0सी0 वादों की संख्या शून्य करने का पुनः निदेश दिया गया।**
2	सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ में प्रतिशपथ–पत्र दायर करना।	**1. सी0डब्लू0जे0सी0 वादों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के कारण अंचलाधिकारी, घोड़ासहन एवं मधुबन तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तुरकौलिया एवं रक्सौल के एक दिन के वेतन की कटौती का आदेश दिया गया।** **1. अगली बैठक के पूर्व एम0जे0सी0 वादों की संख्या शून्य करने का पुनः निदेश दिया गया।**

3	निम्न न्यायालय का अभिलेख (एल.सी.आर.)	**वरीय पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा मांगा गया एल.सी. आर. अविलम्ब उपलब्ध कराने का पुनः निदेश सभी पदाधिकारी को दिया गया।**
4	लोकायुक्त से संबंधित	विभिन्न स्तरों पर लोकायुक्त से संबंधित कुल–142 मामलें जॉच हेतु लंबित हैं। सबसे अधिक 24 मामले जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, 12 मामले अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल के पास, 10 मामले जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास, 10 मामले प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास एवं 08 मामले अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना (ढ़ाका) के पास लंबित है। उपर्युक्त पदाधिकारियों को पुनः निदेशित किया गया कि **वे लंबित मामलों के संबंध में अगली बैठक के पूर्व जॉच प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि अंतिम निष्पादन की कार्रवाई संभव हो सके।**

- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य सभी पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि **आकस्मिक अवकाश के आवेदन–पत्र में इस आशय का उल्लेख अवश्य हो कि उनके पास एम0जे0सी0 या सी0डब्लू0जे0सी0 का कोई वाद लंबित है अथवा नहीं।**

5. <u>सामान्य शाखा</u>

अनुपालन :– **श्री महमूद आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	शस्त्र पंजी	जिला स्तर पर संधारित शस्त्र पंजी के आधार पर सत्यापित कुल शस्त्रों की संख्या–**5672** और ओ0डी0 पंजी के अनुसार **1292** कुल–**6964** है। जो अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराएँ हैं, वैसे 1501 अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। शस्त्र सत्यापन हेतु कुल 23 थानों के 477 अनुज्ञप्तिधारियों को नोटिस किया गया है। 12 मृत पाये गये हैं। 08 का सत्यापन कराया गया है। इस संबंध में निम्न निदेश दिए गए :– **1. वारंटी एवं मृत अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।** **2. एक सप्ताह के अन्दर शेष 20 थानों को नोटिस भेजें।**

2	सिनेमा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण या रद्दीकरण संबंधी प्रगति प्रतिवेदन।	04 सिनेमा हॉल बन्द है। 27 में से 22 का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। **04 बंद सिनेमा हॉलों की अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रस्ताव अविलम्ब उपस्थापित करें।**
3	चौकीदार का अद्यतन वेतन।	केसरिया अंचल का फरवरी तक भुगतान किया गया है। उसके बाद के विपत्र में कोषागार की आपत्ति का निराकरण कर विपत्र भेजा गया है। मई के वेतन का भुगतान हेतु आवंटन नहीं है। **अंचलाधिकारी, केसरिया आवंटन की अधियाचना करें।** घोड़ासहन अंचल के वेतन का भुगतान अप्रैल तक हुआ है। उसके बाद का भुगतान लंबित है। **चौकीदार का अद्यतन वेतन भुगतान होने तक अंचलाधिकारी, घोड़ासहन, उनके प्रधान लिपिक एवं कार्यवाहक लिपिक के वेतन का भुगतान बंद करें।**
4	स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान पेंशन योजना	–
5	पर्यटन	–
6	अनुकम्पा समिति	जिला स्थापना उप समाहर्त्ता को जिला स्थापना से संबंधित अनुकम्पा समिति की बैठक हेतु तिथि 31.07.2014 के पूर्व निर्धारित करने का निदेश दिया गया है। **जिला स्थापना उप समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर तदनुसार अनुकम्पा समिति की बैठक की तिथि निर्धारित करें।**

6. जिला कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण

अनुपालन :– **श्री कृष्णा राम, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं श्री रवि शंकर, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	विभिन्न मदों में छात्रवृति का वितरण	**उप विकास आयुक्त इसकी समीक्षा करें।**
2	कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु प्राप्त राशि से संबंधित अद्यतन स्थिति (प्रखण्डवार)	**संबंधित अंचलाधिकारी को कब्रिस्तानों की घेराबंदी से संबंधित स्थल चयन कर नया प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्राथमिकता सूची जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।**
3	महादलित विकास निगम से संबंधित योजनाओं का अद्यतन स्थिति।	विभिन्न अंचलों में 109 योजनाओं में भूमि संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसके विरूद्ध 41 में कार्य प्रारंभ है। शेष पर कार्रवाई जारी है। यह सुनिश्चित करें कि **सभी योजनाओं में कार्य**

		प्रारम्भ हो जाय। कार्यकारी एजेन्सी को स्मारित करें।
4	दशरथ मांझी कौशल विकास योजना से संबंधित प्रतिवेदन।	**अगली बैठक के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को राशि का वितरण करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।,**
5	अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में प्राप्त राशि की अद्यतन स्थिति।	उप विकास आयुक्त द्वारा अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, जिसके आलोक में गत बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी को निम्न निदेश दिए गए :– 1. प्रशिक्षण मद की राशि से कम्प्यूटर का क्रय करें। 2. जेनरेटर चालू करावें। 3. विद्युत कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करें। **उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन के बिन्दु पर अगली बैठक से पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।**
6	अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास के निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन।	**कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु पुनः स्मारित करें।**
7	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई	**चयनित 20 लाभार्थियों के बीच सहायता अनुदान राशि वितरण संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन अगली बैठक के पूर्व प्रस्तुत करें।**
8	ए०सी०/डी०सी० बिल का प्रेषण।	**अगली बैठक के पूर्व अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।**

7. सामाजिक सुरक्षा

अनुपालन :– **डॉ० विवेक सिंह, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी**

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, **बिहार निःशक्तता पेंशन** से संबंधित अद्यतन स्थिति Statistical लक्ष्य के आधार पर (प्रखण्डवार/पंचायतवार)।	दिनांक–06.08.2014 से 14.08.2014 तक निर्धारित कैलेन्डर के अनुसार प्रखंडवार शिविर आयोजित कर पेंशन वितरण का कार्य किया जाएगा। **1. पंचायतवार आंकड़ा प्रस्तुत करें।** **2. यह सुनिश्चित करेगें कि तक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा डाटा इन्ट्री किया जा रहा है, वह दिनांक–31.07.2014 तक वेबसाईट पर अपलोड हो जाय।**
2	वस्त्र वितरण में प्राप्त राशि का अद्यतन स्थिति।	**संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अगली बैठक के पूर्व उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजना सुनिश्चित करें।**
3	ट्राई साइकिल योजना में प्राप्त राशि का अद्यतन स्थिति।	**1. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनांक–31.07.2014 तक लाभान्वितों की सूची उपलब्ध करा दें।** **2. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी लाभान्वितों की सूची का अनुमोदन उप विकास आयुक्त से करा लें एवं उसके बाद ट्राई साईकिल वितरण हेतु अनुमंडलवार शिविर की तिथि निर्धारित करें।**

4	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित प्रतिवेदन। (प्रखण्डवार/पंचायतवार)	इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।
5	कबीर अन्त्येष्ठि। (प्रखण्डवार/पंचायतवार)	इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।
6	असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना–11	इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।
7	प्रवासी मजदूर दुर्घटना बीमा योजना।	इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।
8	विशेष रूप से निःशक्त व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराना।	इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।
9	नगद पेंशन वितरण	इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।
10	गैर प्राकृतिक आपदा	इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।
11	पेंशनरों का डाटा बेस उपलब्ध कराना	इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।

8. **लोक सूचना का अधिकार अधिनियम**

अनुपालन– मो0 मुस्ताक, वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग/नोडल पदाधिकारी, लोक सूचना

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	सूचना के अधिकार अधिनियम	उपस्थित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि **वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में वर्षवार दायर मामलों की संख्या, निष्पादित मामलों की सं0 एवं लंबित मामलों की सं0 (लंबित का कारण दर्शाते हुए) अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदित करें।**

9. **जिला स्थापना**

अनुपालन :– **श्री मधुसूदन प्रसाद, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	90 दिनों से पूर्व विभागीय कार्यवाहियों को अंतिम रुप दिया जाना।	22 लिपिक, राजस्व कर्मचारी एवं जनसेवक के विरूद्ध 16 में विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। 03 पंचायत सेवक, 01 कर्मचारी एवं 02 जनसेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। **संचालन पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त कुल 16 विभागीय कार्यवाही के संचालन प्रतिवेदन संचिका में तालिका चार्ट के साथ उपस्थापित करें।**
2	सेवानिवृत कर्मचारियों को माह के अंत में सेवानिवृत लाभों का देयता सुनिश्चित करना।	दिनांक–31.07.2014 को पेंशन अदालत निर्धारित है। सेवा निवृत होने वाली 07 व्यक्तियों की सूची प्राप्त है। उक्त तिथि को सेवा निवृत कर्मियों को सेवांत लाभ भुगतान हेतु कार्रवाई जारी है।

		1. **सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी दिनांक–31.07.2014 को सेवा निवृत होने वाले कर्मियों के सेवांत लाभों का देयता सुनिश्चित करने हेतु सूची पूर्व में भेज दें तथा संबंधित कर्मी के साथ पेंशन अदालत में भाग लेना सुनिश्चित करें।** 2. **पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी से पत्राचार कर सेवा निवृत होने वाले कर्मियों की सूची तथा उनकी देयता की विवरणी प्राप्त करें।**
3	अनुकम्पा समिति की बैठक	जिला स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक–26.07.2014 को अनुकम्पा उप समिति की बैठक निर्धारित है, जिसमें प्राप्त 20 मामलों पर विचार किया जाएगा। **इस माह के 31वीं तारीख के पूर्व अनुकम्पा समिति की बैठक की तिथि निर्धारित करें।**
4	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	01 कंडिका लंबित है। **अगली बैठक के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करें।**

10. GPF

अनुपालन :– **श्री राकेश कुमार चौधरी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	जी॰ पी॰ एफ॰ का लेखा अद्यतीकरण।	कुल अंशदाता –6811, लेखा अद्यतन – 4878 Missing Contribution – 1933 **शेष लेखा का अद्यतीकरण कर अद्यतन विवरणी उपलब्ध कराने का पुनः निदेश दिया गया।**
2	सेवानिवृत कर्मचारियों के अंतिम भुगतान से संबंधित मामले।	कुल–58 मामले लम्बित हैं, जो प्रकियाधीन है। **अंतिम भुगतान से संबंधित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करें।**

11. आपदा प्रबंधन

अनुपालन :– श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	सुखाड़/बाढ़/अग्निकांड अनुदान राशि का डी. सी. विपत्र का प्रेषण।	कुल–1,34,89,861.00 रूपये के समायोजन की सूचना जिला नजारत से प्राप्त नहीं हुआ है। नजारत उप समाहर्त्ता को स्मारित किया गया। इसी तरह अंचलाधिकारी, छौड़ादानों को समायोजन हेतु स्मारित किया गया है, परन्तु उनसे भी तत्संबंधी सूचना अप्राप्त है। **पुनः स्मारित करें।**

2	मृतक अनुदान से संबंधित अभिलेख की स्वीकृति	चक्रवात से संबंधित ढ़ाका से 01 एवं मोतिहारी सदर से 03, कुल–04 मृत्यु के मामले प्रतिवेदित हुए हैं। अंचलाधिकारी, ढ़ाका एवं मोतिहारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी से वांछित कागजातों एवं अनुशंसा के साथ अभिलेख की मांग की गई है, जो अप्राप्त है। **सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारी अगली बैठक के पूर्व अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।**
3	जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयारी की समीक्षा।	बाढ़ की तैयारी की समीक्षा के क्रम में पुनः निम्न निदेश दिए गए :– **1. धातृ महिलाओं की सूची आपदा प्रबंधन कोषांग को शीघ्र भेजने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया।** **2. सरकारी नावों का निबंधन प्राथमिकता के आधार पर कराने का निदेश अचल अधिकारियों को दिया गया, अन्यथा नाविकों को किये जाने वाला भुगतान अवैध माना जाएगा।** **3. निजी नाविकों के फोटो सहित निबंधन हेतु आवेदन–पत्र में ईंजन रहित नाव भरकर जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय से निबंधन कराने हेतु प्रोत्साहित करने का निदेश दिया गया । जो निजी नावों के मालिक निबंधन नहीं करायेंगे, उन्हें परवाना निर्गत नहीं किया जायेगा।** **4. नावों को सूखे में नहीं, बल्कि पानी में रखने का निदेश दिया गया।** **5. बाढ़ की निरोधात्मक तैयारी का कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।** **6. दवा उपलब्धता का सत्यापन कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का पुनः निदेश दिया गया।** **7. संभावित बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची आपदा प्रबंधन को भेजने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ अंचलाधिकारियों को दिया गया।** इसके अतिरिक्त दिनांक–12.07.2014 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न निदेश दिए गए :– **1. संबंधित कार्यपालक अभियन्ता विभागीय तटबन्धों पर प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों की उपस्थिति पंजी में दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।**

		2. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी अपने पर्यवेक्षण में धनौती नदी के जमीन्दारी बांध से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करेंगे। 3. जिला परिवहन पदाधिकारी शिविर आयोजित कर नावों का निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। 4. ऊँचे स्थलों की पहचान कर मनरेगा योजनान्तर्गत शेड सहित Platform बनवाने हेतु चिन्हित स्थलों की सूची जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजें। 5. चकिया–केसरिया पथ में निर्माणाधीन पुल के पहुँच पथ ठीक करने हेतु कार्यपालक अभियन्ता, पुल निर्माण निगम को निदेशित करें। 6. कार्यपालक अभियन्ता, चम्पारण तटबन्ध एवं सिकरहना तटबंध गण्डक एवं बुढ़ी गण्डक के पास स्थित रिंग बाँध की मरम्मती कराना सुनिश्चित करें । 7. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् को निदेशित करें कि शहरी क्षेत्रों में Water level को ध्यान में रखकर नाला का निर्माण कराना सुनिश्चित करें। 8. प्रखण्ड स्तरीय बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जाय। 9. महादलित बस्ती को जोड़ने के लिए मनरेगा योजनान्तर्गत सम्पर्क पथ बनवाने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/मेन्टर पदाधिकारी स्थल चिन्हित कर भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्संबंधी सूचना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को उपलब्ध कराया जाय।
4	निजी नाव के किराये का भुगतान।	कोई मामला लम्बित नहीं।
5	एस0एफ0सी0 को राशि का भुगतान	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया एवं अरेराज को आवश्यकतानुसार अपेक्षित राशि उपावंटित कर दी गई है।

12. I.C.D.S

अनुपालन :– श्री प्रवीण कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच में पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में की गयी कार्रवाई एवं कटौती की गयी राशि की विवरणी (केन्द्र सहित)	जून माह में 13 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। 16 में कटौती एवं चयन मुक्ति का प्रस्ताव शून्य है।

		1. वैसे सभी 13 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को चेतावनी निर्गत करें। 2. अगली बैठक के पूर्व सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को शत–प्रतिशत ऑनलाईन डाटा इन्ट्री कराने का निदेश दिया गया। 3. प्रत्येक बाल विकास परियोजना पदा0 एवं महिला पर्यवेक्षिका को प्रत्येक माह कम–से–कम 30–30 निरीक्षण करने का लक्ष्य दिया गया। 4. जिस महिला पर्यवेक्षिका द्वारा प्रस्तावित कटौती 45 प्रतिशत से कम है, उन्हें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चेतावनी निर्गत करें। 5. जिस परियोजना की कटौती का प्रस्ताव शून्य हो, उसकी सूची जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 प्रस्तुत करें, उसकी जाँच दण्डाधिकारी से कराई जायेगी।
2	आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति एवं चयन हेतु की गयी कार्रवाई।	सेविका के कुल–1051 रिक्त पदों के विरूद्ध 175 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण। इसी तरह सहायिका के कुल–512 रिक्त पदों के विरूद्ध 104 पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
3	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण।	कुल स्वीकृत भवनों की सं0–4612, कार्यरत–3545, कुल पूर्ण भवनों की सं0–400 एवं निर्माणाधीन भवनों की संख्या–473 है।

13. जिला पंचायत

अनुपालन :– **श्री सुनील कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	पंचायत सचिवों के कार्यो की समीक्षा	रोस्टर के अनुसार पंचायत सचिवों को जिला स्तरीय बैठक तथा प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय में भाग लेने का निदेश दिया जा चुका है। **जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे।**
2	90 दिन से पूर्व पंचायत सचिवों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप देना।	श्री जय प्रकाश चौधरी, पंचायत सचिव, तुरकौलिया प्रखंड के विरूद्ध मात्र 01 विभागीय कार्यवाही का मामला लंबित है, जिसके संचालन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल हैं। **संचालन पदाधिकारी को संचालन कार्य शीघ्र पूर्ण कर प्रतिवेदन देने हेतु स्मारित करें।**

3	मुखिया/पंचायत प्रतिनिधि के विरूद्व प्राप्त शिकायतों को अंतिम रूप देना।	मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधि के विरूद्ध कुल–06 प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध तीन मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। मोतिहारी, संग्रामपुर एवं कल्याणपुर प्रखंडों से संबंधित तीन मामले लंबित हैं। **लंबित तीनों मामलों का निष्पादन अगली बैठक के पूर्व करें।**
4	पंचायत सचिवों के मुख्यालय से संबंधित पता प्राप्त करना।	कुल–20 प्रखण्डों से पंचायत सचिवों के मुख्यालय से संबंधित सूचना प्राप्त है। परन्तु सुगौली, आदापुर, बनकटवा, फेनहारा, चकिया, मधुबन एवं पकड़ीदयाल कुल–07 प्रखण्डों से सूचना अप्राप्त है, जिन्हें स्मारित किया गया है। **जिला पंचायत राज पदाधिकारी स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे।**
5	ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत प्रियासॉफ्ट में योजनाओं का ऑनलाईन कराने के संबंध में।	वर्ष 2012–13 में जिला परिषद का कार्य पूर्ण है। कुल–27 पंचायत समिति में से 26 का कार्य पूर्ण है। एक आदापुर प्रखंड का कार्य लंबित है, क्योंकि रोकड़बही निगरानी टीम द्वारा वर्ष 2012 में ही जब्त कर लिया गया है। 405 पंचायतों के विरूद्ध 375 में कार्य पूर्ण है। 30 पंचायतों का कार्य अपूर्ण है। आदापुर, रामगढ़वा, छौड़ादानों एवं रक्सौल के शेष पंचायतों का रोकड़बही प्राप्त नहीं है। **एक सप्ताह के अन्दर संबंधित पंचायतों से रोकड़बही प्राप्त कर जॉच कार्य पूर्ण करा लिया जाय।**
6	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	**पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा जमीन का संयुक्त निरीक्षण कर स्थल चिन्हित कर लें। इसके पश्चात् स्थल की उपयोगिता पाये जाने पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु मान्यता दी जायेगी।**

14. जिला विकास

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु प्राप्त राशि से संबंधित अद्यतन स्थिति (प्रखण्डवार)	इस संबंध में निम्न पुनः निदेश दिए गए :– **1. जिस कार्यकारी एजेन्सी के पास पुरानी योजनाओं का कार्य अपूर्ण है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का पुनः निदेश दिया गया ।**
2	मुख्यमंत्री खेल योजना	इस योजनान्तर्गत केसरिया, चकिया, अरेराज, पहाड़पुर एवं मेहसी द्वारा खेल सामग्री प्राप्त नहीं की गई है। मोतिहारी, सुगौली, तुरकौलिया,, हरसिद्धि, रामगढ़वा, रक्सौल, छौड़ादानों, चिरैया, ढ़ाका, आदापुर, संग्रामपुर, बंजरिया, फेनहारा, तेतरिया, मधुबन, पताही, पकड़ीदयाल,

		कल्याणपुर, कोटवा, घोड़ासहन, बनकटवा प्रखंडों में पायका खेल सामग्री के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि **अगली बैठक के पूर्व प्रखंडों को खेल सामग्री प्राप्त हो जाय।** **प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा को संबंधित प्रखंडों को स्मारित कर उनसे उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का पुनः निदेश दिया गया।**
3	ग्रामीण विकास विमाग की वेबसाईट पर प्रखंड की स्थायी परिसम्पति एवं भू–भाग की विवरणी अपलोड करना	पिछली बैठक की कार्यवाही के साथ प्रखंडवार निर्धारित कोड की विवरणी परिशिष्ट में संलग्न करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाईट पर अपलोड कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु बंजरिया एवं मेहसी प्रखंड को छोड़कर किसी भी प्रखंड द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। **सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी विलंब का कारण स्पष्ट करते हुए अगली बैठक के पूर्व प्रखण्ड की स्थायी परिसम्पत्ति एवं भू–भाग की विवरणी ग्रामीण विकास विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन जिला विकास शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।**

15. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

अनुपालन :– **श्री सर्व नारायण यादव, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	मनरेगा से संबंधित प्रखण्डवार एवं पंचायतवार प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत उँचे स्थलों की पहचान कर आश्रय स्थलों पर छायायुक्त Platform बनाया जाना है, जिसका उद्घाटन दिनांक–15.08.2014 को कराएँ जाने का कार्यक्रम है। **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, मेन्टर पदाधिकारी आश्रय स्थलों की सूची के आधार पर संयुक्त रूप से भ्रमण कर सत्यापन कर लेंगे कि वहाँ सम्पर्क पथ है अथवा नहीं। तदनुसार उप विकास आयुक्त को दिनांक–28.07.2014 (सोमवार) के 05.00 बजे अपराह्न तक प्रतिवेदित करेंगे।** 2. प्रखंड से महादलित वस्ती में जाने वाली सम्पर्क पथों को जोड़ने के लिए मनरेगा योजनान्तर्गत सम्पर्क पथ बनवाने हेतु महादलित टोलों में 15 अगस्त, 2014 को उद्घाटन कराये जाने का कार्यक्रम है। **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/मेन्टर पदाधिकारी स्थल चिन्हित कर भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार उप विकास आयुक्त को दिनांक–28.07.2014 (सोमवार) के 05.00 बजे अपराह्न तक प्रतिवेदित करेंगे।**

2	13वें वित्त आयोग में प्राप्त राशि से संबंधित प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में)	1. 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत गैरमजरूआ आम या दान की जमीन पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन सभी अंचलाधिकारी दिनांक--31.07.14 तक उप विकास आयुक्त को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। 2. अंचलाधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को पुनः निदेशित किया गया कि उपलब्ध आंकड़ों के विरूद्ध, जिसमें अनापति प्रमाण--पत्र निर्गत किया गया है, उसकी छाया प्रति दिनांक--31.07.2014 के पूर्व उप विकास आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 3. जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित कराई जाने वाली योजनाओं का प्रखंडवार वित्तीय एवं भौतिक अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त उप विकास आयुक्त--सह--मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद सबसे खराब Performance वाले प्रखण्डों को अगली बैठक के पूर्व चिन्हित कर कारण पृच्छा प्राप्त करें एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी योजनाओं का कार्य एकरारनामा के शर्तों के अनुसार ससमय पूर्ण हो जाय।
3	इंदिरा आवास से संबंधित प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में)	दिनांक--10.08.14 एवं 12.08.14 को विशेष इन्दिरा आवास की शिविर निर्धारित की गई है। 1. इन्दिरा आवास योजनाओं में शौचालय निर्माण की लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। 2. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि शिविर के पूर्व पंचायत सचिव एवं इन्दिरा आवास सहायक से सहयोग लेकर सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण कर लें। 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक दिन इस कार्य का अनुश्रवण करेंगे तथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इस पर निगरानी रखेंगे। 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी वितरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पासबुक में राशि की प्रविष्टि कर दी गई है।
4	बी॰ आर॰ जी॰ एफ॰ से संबंधित प्रतिवेदन। (विहित प्रपत्र में)	पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर से कार्यान्वित कराई जाने वाली योजनाओं का प्रखंडवार वित्तीय एवं भौतिक अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त उप विकास आयुक्त--सह--मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद सबसे खराब Performance वाले प्रखण्डों को अगली बैठक के पूर्व चिन्हित कर कारण पृच्छा प्राप्त करें एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी

		योजनाओं का कार्य एकरारनामा के शर्तों के अनुसार ससमय पूर्ण हो जाय।
5	चतुर्थ वित आयोग।	पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर से कार्यान्वित कराई जाने वाली योजनाओं का प्रखंडवार वित्तीय एवं भौतिक अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद सबसे खराब **Performance** वाले प्रखण्डों को अगली बैठक के पूर्व चिन्हित कर कारण पृच्छा प्राप्त करें एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी योजनाओं का कार्य एकरारनामा के शर्तों के अनुसार ससमय पूर्ण हो जाय।
6	जीविका से संबंधित प्रतिवेदन।	उप विकास आयुक्त इसकी समीक्षा करेंगे।
7	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	02 मामला लंबित है। **विगत बैठक के पूर्व इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।**

16. <u>जिला आपूर्ति</u>

अनुपालन :– **श्री सर्व नारायण यादव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	खाद्य सुरक्षा अधिनियम	**1. सभी पणन पदाधिकारी अप्रैल माह का शेष खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करें।** **2. जिन पंचायतों का नया कार्ड मुद्रित होकर आया है, उसका वितरण आगामी सोमवार तक सुनिश्चित करें।** **3. सभी अनुमंडल पदाधिकारी ससमय अन्त्योदय लाभार्थियों एवं PHH लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत लाभार्थियों का दोहरीकरण न होने पाए।**
2	20–सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	01 कण्डिका लंबित । **अगली बैठक के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करें।**
3	जिला अनुश्रवण समिति की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	01 कण्डिका लंबित । **अगली बैठक के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करें।**

17. <u>सामाजिक, आर्थिक जातीय जनगणना–2011</u>

अनुपालन :– श्री मधुसूदन प्रसाद, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	COTS	1. क्षेत्रीय जाँच के क्रम में स्वीकृत, अस्वीकृत एवं अपूर्ण (बिना **EB/Household** के) आवेदन–पत्रों की छटनी अलग–अलग कर लें। 2. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी 3–4 दिनों के अन्दर शिविर आयोजित कर **A,B,C** में प्राप्त दावा आपत्ति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन एवं राज्य सरकार को भेजे गए प्रतिवेदन का मिलान कर प्रतिवेदन देंगे। 3. **EB** एवं **Household** का पता नहीं चलने पर COTS में उसकी प्रविष्टि नहीं की जायेगी। 4. वर्तमान में जो नया दावा/आपत्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राप्त होता है, उस पर कम–से–कम दो दिनों के अन्दर जाँच कर स्वीकृति या अस्वीकृति का स्पष्ट आदेश अंकित करें। 5. दिनांक–01.04.2014 से 31.07.2014 तक प्राप्त नए दावा/आपत्तियों की संख्या समेकित कर उप विकास आयुक्त के ई–मेल पर दिनांक– 01.08.2014 तक निश्चित रूप से भेज दें। 6. सभी मेन्टर पदाधिकारी प्राप्त दावा/आपतियों को निम्नवत विभक्त करा लेंगे :– (क) कितना दावा आपति का मिलान किया गया, कितने स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत हुए। (ख) स्वीकृत या अस्वीकृत होने का कारण दर्शाते हुए सत्यापन करें। वैसे आवेदन–पत्रों को प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं उनके द्वारा क्षेत्रीय जाँच कराकर दिनांक–31.07.14 तक COTS में प्रविष्टि कराई जाय। 7. राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदन–पत्रों को **A,B,C** में परिवर्तित कर उसे COTS में आपति के रूप में दिनांक–31.07.14 तक प्रविष्टि दर्ज कराएँ।

18. <u>अभिलेखागार</u>

अनुपालन :— **श्री अमरकान्त, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	अभिलेखों का रख–रखाव	**कार्रवाई जारी।**
2	पुराने अभिलेखों का बिनिष्टीकरण	**कार्रवाई जारी।**
3	एक खिड़की प्रणाली	**व्यवस्था लागू है।**
4.	आम जनता की समस्याओं का निराकरण	**प्रत्येक दिन संध्या 03:00 बजे से 05:00 बजे तक आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए समय निर्धारित किया गया है।**

19. <u>जिला नजारत/परिसदन भवन</u>

अनुपालन :— **श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	आवंटन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।	वर्ष 2013–14 में सभी शीर्षों में प्राप्त आवंटन की निकासी कर ली गई है और अवशेष राशि को वर्ष के अन्तिम माह–मार्च में प्रत्यार्पित किया गया है। वर्ष 2014–15 में शीर्ष 2053 जिला प्रशासन एवं शीर्ष 2070 जिला अतिथिगृह मद में प्राप्त राशि की निकासी पूर्ण।
2	लंबित अभिश्रवों की अद्यतन स्थिति	**नियमानुसार लंबित अभिश्रवों का समयोजन करने का पुनः निदेश दिया गया।**
3.	अग्रिम से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन	84,12,928 रूपये अग्रिम के विरूद्ध कुल–150 अग्रिमदारों को नोटिस निर्गत किया गया है । शेष को नोटिस नोटिस निर्गत की जा रही है। **कर्मचारियों के पास लंबित अग्रिम की राशि का समायोजन उनके वेतन से किस्तवार करें।**
4	ए0सी0/डी0सी0 विपत्र	महालेखाकार द्वारा कुल–4,72,40,000.00 के ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी की गई राशि के विरूद्ध 3,50,87,553.00 रूपये समायोजित एवं 1,21,52,447.00 रूपये असमायोजित दर्शाया गया है। जिला नजारत के अनुसार कुल–4,72,40,000.00 रूपये के विरूद्ध 4,44,62,435.00 रूपये का डी0सी0 विपत्र का समायोजन एवं 27,77,565.00 रूपये लंबित दिखाया

		जा रहा है। इस प्रकार महालेखाकार, बिहार के आंकड़े एवं जिला नजारत के आंकड़े में लंबित डी0सी0 विपत्र की राशि 93,74,882.00 रूपये का अंतर है। निदेश दिया जाता है कि **यदि जिला नजारत द्वारा 4,44,62,435.00 रूपये का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार को भेज दिया गया है तो उसकी प्राप्ति रसीद एवं अभिश्रव की अभिप्रमाणित प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में जाकर सत्यापित कराकर आंकड़ो को ठीक कर लिया जाय।**
5	परिसदन में आधारभूत संरचना का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	परिसदन के सौन्दर्यीकरण की कार्य योजना तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल से पत्राचार किया गया। अगले सप्ताह तक कार्य योजना प्राप्त कर लिया जाएगा।

20. <u>जिला नीलाम पत्र</u>

अनुपालन :– **श्री विजयन्त, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।**

क्र0	**कार्य विन्दु**	**अनुपालन/निदेश**
1	**2**	**3**
1	नीलाम पत्र वादों की अद्यतन स्थिति	**1. नीलाम पत्र वादों से संबंधित किस नीलाम पत्र पदाधिकारी कितनी राशि वसूली हेतु लंबित है, उसकी समेकित सूची प्रस्तुत करें।** **2. अगली बैठक के पूर्व यह प्रतिवेदन दें कि कितने वादों में नोटिस निर्गत किया गया है, कितने वादों में वारंट निर्गत किया गया है, कितने वादों में धारा–7, कितने वादों में धारा–9, कितने वादों में धारा–17 के अन्तर्गत कौन–कौन सी कार्रवाई की गई है।** **3. 01.00 लाख से 05.00 लाख तक के वादों को सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को स्थानान्तरित कर दें।** **4. प्रत्येक नीलाम–पत्र पदाधिकारी प्रतिदिन 10–10 मामलों की सुनवाई कर नीलाम–पत्र वादों का त्वरित निष्पादन करेंगे।** **5. थानावार वारंटियों की सूची तैयार कर पुलिस अधीक्षक को भेजें।**

- उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे दिए गए निदेशों का कार्य **विन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन की Hard & Soft Copy बैठक के एक दिन पूर्व आई0टी0 प्रबंधक एवं जिला गोपनीय प्रशाखा में उपलब्ध कराएँगे तथा अगली शुक्रवार को आयोजित बैठक में प्रखंडवार/पंचायतवार विस्तृत प्रतिवेदन के साथ समीक्षा हेतु उपस्थित होंगे।**

- सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रधान लिपिक के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–1479/गो0, मोतिहारी, दिनांक–31 वीं जुलाई, 2014

प्रतिलिपि सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के मेन्टर पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण//निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम/सिविल सर्जन/तटबन्ध प्रमण्डल एवं जल निस्सरण प्रमण्डल के सभी कार्यपालक अभियन्ता/ जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना/जिला योजना पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–1479/गो0, मोतिहारी, दिनांक–31 वीं जुलाई, 2014

प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।